संख्या-20/2015/2167/26-2-2015

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 16 सितम्बर, 2015

विषयः- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 एवं उ0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 के अन्तर्गत प्रदेश में वृद्धाश्रम संचालन हेतु दिशा-निर्देश/कार्य पद्धति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह अवगत कराना है कि अधिनियम की धारा-19 के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 150 आवासीय क्षमता का वृद्धाश्रम संचालित करने का निर्णय लिया गया है एवं चरणबद्ध ढंग से 03 वर्षों में प्रत्येक जनपद में स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से पी0पी0पी0 माडल पर वृद्धाश्रम स्थापित किया जाना है। शासनादेश सं0-13/2015/1140/26-2-2015, दिनांक 08.06.2015 द्वारा तहसील तथा जनपद स्तर पर गठित क्रमशः भरण-पोषण अधिकरण तथा अपील अधिकरण के संचालन के संबध में एस0ओ0पी0 निर्गत की गयी है। अतः अधिकरण तथा अपीलीय अधिकरण के स्तर से संस्तुत पात्र वृद्धजनों का प्रवेश वृद्धाश्रम में प्राथमिकता के आधार पर किया जाना बाध्यकारी रहेगा।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वृद्धाश्रम संचालन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः-

आश्रम के अन्तःवासियो के चयन की प्रक्रियाः-

60 वर्ष या अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास स्वयं के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, अथवा निर्धन है या निराश्रित हैं, आश्रम में रहने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों से समुचित अन्तरालों पर किन्तु प्रत्येक वर्ष में कम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

से कम एक बार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सम्बन्धित उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा किया जायेगा। उप जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर सम्बन्धित पक्षों से सुनवाई के बाद गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे वृद्धजन, जो रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों आदि से जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, पुलिस अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी के सम्पर्क में आते है, जिनके पास रहने, खाने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे प्रकरणों में जिलाधिकारी की स्वीकृति से उपजिलाधिकारी द्वारा वृद्धाश्रम में रहने की अनुमति दी जायेगी। वृद्धजनों के भरण-पोषण सम्बन्धित प्रार्थना-पत्रों पर सुनवाई के दौरान यह संज्ञान में आता है कि भरण-पोषण करने वाले वृद्धजन के वारिस उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहते है, तो ऐसे वृद्धजनों को सुनवाई के दौरान वृद्धाश्रम में रखने की अनुमति दी जायेगी। भरण-पोषण अधिकरण द्वारा यदि वृद्धजन को भरण-पोषण हेतु वारिसों से धनराशि देने का आदेश दिया जाता है, लेकिन वृद्धजनों के परिजन उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते है, तो ऐसे वृद्धजन स्वयॅ के खर्चे पर वृद्धाश्रम में निवास कर सकेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष द्वारा ऐसे वृद्धजनों का व्यौरा/विवरण अंकित करने हेतु एक पंजिका संस्था में रक्षित की जायेगी। किसी भी अवसर पर संस्था में पात्र आवेदकों की संख्या आश्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों से अधिक होने की दशा में अन्तःवासियों को निम्नवत् वरीयता दी जायेगीः-

1. अधिक निर्धन तथा जरूरतमंद को कम निर्धन आवेदकों पर प्राथमिकता दी जाएगी।
2. अन्य बातें समान होने पर, अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को उन वरिष्ठ नागरिकों पर जो कि कम उम्र के हों, प्राथमिकता दी जाएगी।
3. अन्य बातें समान होने पर, महिला आवेदकों को पुरूष आवेदकों के मुकाबले प्राथमिकता दी जायेगी।
4. निरक्षर और या अत्यधिक वरिष्ठ नागरिकों को भी बिना किसी औपचारिक आवेदन के प्रवेश दिया जा सकेगा। यदि सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी) के स्तर से समाधान/अनुमोदन हो जाये कि ऐसा वरिष्ठ नागरिक औपचारिक आवेदन देने की स्थिति में नहीं है, किन्तु उसे आश्रम की अत्यन्त आवश्यकता है।
5. यदि जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी को सार्वजनिक स्थान पर ऐसे अशक्त एवं निःसहाय वृद्धजन मिलते है, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनकों वृद्धाश्रम में प्रवेश दिये जाने का प्राविधान होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. प्रवेश के लिए आवेदनों या मामलों पर विचार करते समय, धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा तथा नियमानुसार पात्र वृद्धों को वृद्धाश्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

7. आश्रम, पुरूष तथा महिला अंतःवासियों के लिए ठहरने की अलग व्यवस्था करेगा, जब तक कि पुरूष एवं महिला अंतःवासी रक्त संबंधी या विवाहित युगल न हो, नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

8. प्रबन्ध समिति द्वारा वृद्धाश्रम के दैनिक कार्यकलापों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाएगा कि समिति में अन्तः वासियों का भी समुचित प्रतिनिधित्व हो।

वृद्धाश्रम संचालन हेतु भौतिक सुविधाओं और परिचालन के मानदण्डः-

1-आवासन (क्षेत्र)

(1) आवासन क्षेत्र यथा सम्भव वृद्धाश्रम में निम्नलिखित सन्नियमों के अनुसार प्रति अंतःवासी शयन/शयनशाला का क्षेत्र 7.5 वर्गमीटर और उपर्युक्त (एक) सहित एवं आनुषंगिक क्षेत्र जैसे रसोईघर, भोजनालय, मनोरंजन कक्ष, चिकित्सीय कक्ष आदि किन्तु बरामदा कारीडोर आदि छोड़कर प्रति अंतःवासी आवासन क्षेत्र या फर्श क्षेत्र 12 वर्गमीटर होना चाहिये। दो संवासियों के कक्षों में 130 वर्गफीट तथा चार संवासियों तक के अवासीय कक्षों में 220 वर्गफीट की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

2- सुविधायें-

(1) पुरूष एवं महिला संवासियों के पृथक-2 रहने की व्यवस्था की जायेगी।

(2) पीने एवं अनुसंगिक प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(3) अन्तःवासियों के लिए विद्युत, पंखा, कूलर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(4) भवन में वृद्धों के कक्ष के साथ ही रसोई घर कम स्टोर, कार्यालय एवं भोजनालय आदि की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(5) निःशक्त व्यक्तियों के लिए समुचित शौचालयों सहित अन्य वृद्धों हेतु पर्याप्त संख्या में शौचालय एवं स्नानघर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(6) संस्था में मनोरंजन की सुविधा हेतु टेलीविजन, समाचार पत्र एवं पुस्तकों का पर्याप्त संग्रह किया जायेगा।

(7) प्राथमिक उपचार हेतु रोगी कक्ष और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र की सुविधा आश्रम में व्यवस्थित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) वृद्धाश्रमों में रैम्प तथा जहॉ आवश्यक हो हेडरिल अथवा अन्य व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, जिससे वृद्धों को असुविधा न हो।

3-परिचालन के मानक:-

(1) वृद्धाश्रम के अन्तःवासियों को राज्य सरकार द्वारा नियत किये जाने वाले मापदण्ड के अनुसार पोषक एवं स्वास्थ्य वर्धक आहार की आपूर्ति की जायेगी।

(2) अन्तःवासियों के लिए पर्याप्त मात्रा में ग्रीष्म तथा शीत ऋतु हेतु वस्त्र की व्यवस्था की जायेगी।

(3) स्वच्छता, स्वास्थ्य, विज्ञान और पहरा चौकसी वार्ड/सुरक्षा के लिए भी आश्रम में पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

(4) सुरक्षा अपेक्षाओं के लिये निकटतम पुलिस स्टेशनों के थानाध्यक्षों से सामंजस्य स्थापित करके सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

(5) मुख्य चिकित्साधिकारी वृद्धाश्रम में निवास कर रहें वृद्धजनों की चिकित्सा सुविधा हेतु निकटतम जिला अस्पताल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक को नामित करेंगे, जो कि 15 दिन में कम से कम एक बार वृद्धाश्रम में जाकर अन्तःवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे एवं गम्भीर बीमारी की स्थिति में जिला अस्पताल या अन्य उपयुक्त अस्पताल की सुविधायें उपलब्ध करायेंगे।

(6) आपताकालीन स्वास्थ्य देखभाल हेतु निकटतम सरकारी अस्पताल एवं 108 एम्बुलेन्स (Ambulance) सेवा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) संस्था में सभी वृद्धों के लिए पर्याप्त मात्रा में तख्त तथा अन्य फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(8) संस्था में संवासियों की देखभाल के लिए पर्याप्त मात्रा में नर्सिंग स्टाफ, सुरक्षा कर्मी, स्वच्छकार तथा बिस्तर पर पड़े असहाय वृद्धों के लिए पर्याप्त मात्रा में मेडिकल तथा नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था करायी जायेगी।

(9) आश्रमों में निवास सम्बन्धी व्यवस्था के साथ-साथ मनोरंजन, स्वास्थ्य, फिजियोथेरैपी, योगासन आदि के लिए भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

(10) वृद्धाश्रम में एक समय में कम से कम 25 तथा 150 वृद्धजनों को आवासित किया जायेगा।

(11) आश्रम में संवासीवार पत्रावली अनुरक्षित की जायेगी, जिसमें उसकी उम्र, शैक्षिक योग्यता, पूर्ण पता, व्यवसाय एवं कार्य अनुभव, उनकी आदत तथा आय, परिवार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के सदस्यों का विवरण, रिश्तेदारों, मित्रों का विवरण तथा उसमें उनका टेलीफोन नम्बर इत्यादि का भी रिकार्ड रखा जायेगा, जिसे आपातकाल में उनसे सम्पर्क किया जा सके।

(12) संक्षेप में उन कारणों का भी उल्लेख किया जायेगा, जिस कारण से वृद्ध ने आश्रम में प्रवेश लिया है।

(13) आश्रमों में खाना पकाने के लिए एवं खाना परोसने के लिए पर्याप्त बर्तन की व्यवस्था होगी। वृद्धों को नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन तथा दो बार चाय/काफी के साथ बिस्कुट आदि देने की व्यवस्था चयनित संस्थाओं द्वारा की जायेगी।

(14) आश्रम में धार्मिक पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकायें तथा अन्य मनोरंजन की पुस्तकें संवासियों के प्रयोगार्थ उपलब्ध करायी जायेगी।

(15) आश्रम में संवासियों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा एवं गंभीर बीमारी की स्थिति में संस्था वृद्धों को सामुदायिक केन्द्र, जिला अस्पताल या अन्य सक्षम अस्पताल की सुविधायें उपलब्ध करायेगी।

(16) संस्था वृद्ध संवासियों को नहाने का साबुन एवं कपड़ा धोने के साबुन की व्यवस्था के साथ ही नाई एवं धोबी की व्यवस्था समय-समय पर आवश्यकता के अनुरूप सुनिश्चित करायेगी।

(17) संस्था प्रत्येक संवासी को एक बाक्स भी उपलब्ध करायेगी, जिसमें संवासी अपना सामान सुरक्षित रख सकेगा।

(18) यदि किसी घटना या कारण से संस्था का कोई भी कर्मचारी या संवासी घायल हो जाता है और क्षतिपूर्ति या हर्जाने की मॉग करता है तो इसके लिए समाज कल्याण विभाग जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि पूरी व्यवस्था स्वैच्छिक संस्था के स्तर से ही की जायेगी।

(19) यदि वृद्ध संवासी की आश्रम में मृत्यु हो जाती है तो उसके अन्तिम संस्कार की जिम्मेदारी सम्बंधित संस्था की होगी। मृत्यु के तत्काल बाद पत्रावली में दिये गये विवरण के अनुसार वृद्ध के घर पर तथा उसके रिश्तेदारों को उसके शव को लेने के लिए सूचना भेजी जायेगी एवं यदि 24 घण्टे के अन्दर उसके शव को उसके घर के लोग नहीं ले जाते हैं तो संस्था के स्तर से वृद्ध के धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार संस्था के द्वारा कराया जायेगा।

(20) अंतःवासियों की सुरक्षा एवं व्यवस्था का ध्यान रखते हुए आगन्तुकों को विहित समय के भीतर आश्रम प्रबंधक की पूर्व अनुज्ञा से आश्रम में अनुमति की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(21) संस्था द्वारा वृद्धाश्रम के संचालन सम्बन्धी निम्नलिखित अभिलेख वृद्धाश्रम में संरक्षित किये जायेंगेः-

1- स्टॉक रजिस्टर नाशवान, 2- स्टॉक रजिस्टर अनाशवान, 3- सामान निर्गत रजिस्टर, 4- संवासी उपस्थिति रजिस्टर, 5- स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर, 6- दैनिक व्यय पंजिका, 7- भ्रमण पंजिका (लाभार्थी तथा स्टाफ), 8- संवासी प्रवेश पत्रावली (व्यक्तिगत पत्रावली), 9- कैशबुक, 10- लेजर, 11- आगंतुक पंजिका, 12- विजिटर रजिस्टर, 13- औषधि वितरण पंजिका, 14- स्वयॅ के खर्चे पर रहने वाले अन्तःवासियों के लिये रजिस्टार, 15- पंजिकाओं की पंजी।

<u>अनुश्रवण समिति-</u>

नियमावली के नियम-24 के अनुसारः-

24.(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्रत्येक जिला के लिए जिलास्तर पर, अधिनियम के प्रभावी एवं समन्वित क्रियान्वयन पर सलाह देने तथा वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए जिलास्तर पर वरिष्ठ नागरिकों की एक जिला समिति स्थापित करेगी।

(2) वरिष्ठ नागरिकों के लिये जिला समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थातः-

1	जिला <u>मजिस्टेट</u>	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	उपजिलाधिकारी पदेन	सदस्य
4	मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट उप मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
5	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें एक वृद्धाश्रम से व एक महिला	सदस्य
6	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट पेंशनर्स एसोसियेशन संघ का एक प्रतिनिधि सदस्य	सदस्य
7	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट स्वयंसेवी संगठनों के दो प्रतिनिधि, जिसमें एक महिला	सदस्य
8	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य-सचिव

(3) जिला समिति प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न, जिला समिति के सदस्यों का कार्यकाल, समिति की प्रक्रिया के नियम तथा अन्य आनुषंगिक विषय ऐसे होंगे जैसा कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(5) जिला समिति, अधिनियम, के क्रियान्वयन से संबंधित निम्नलिखित कार्यकलापों का पुनर्विलोकन करेगी, जिसमें सम्मिलित होंगे;

(क) वृद्धाश्रमों के प्रशासन और प्रबंधन का पुनर्विलोकन;

(ख) अधिनियम के अधीन स्थापित संस्थाओं का त्रैमासिक पर्यवेक्षण करना तथा उसकी रिपोर्ट निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को भेजना;

(ग) वृद्धाश्रमों के उन्नयन तथा विकास के लिए समुचित कार्यक्रम हेतु कार्यक्रम का प्रस्ताव करना;

(घ) वरिष्ठ नागरिकों के पुर्नवास से संबंधित कार्यक्रमों का समर्थन करना;

(ड.) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न एजेंसियों के बीच सहलग्नता सुनिश्चित करना;

(च) अधिनियम के अधीन जिले में स्थापित किये गये अधिकरणों के कृत्यों का पुनर्विलोकन करना;

(छ) संस्थागत तथा गैर-संस्थागत सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव देना।

(6) समिति अपना पर्यवेक्षण पूरा करने के पश्चात्, अपने निष्कर्षो पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसे सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज देगी।

(7) उपजिलाधिकारी व तहसीलदार द्वारा 15 दिन में वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया जायेगा तथा वृद्धाश्रम के संचालन की रिपोर्ट/आख्या जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(8) वृद्धाश्रम में संचालित कार्यक्रम एवं वरिष्ठ नागरिकों को संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यवस्था/सुझावों की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु यथा जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण तथा निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 व शासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा तथा प्राप्त स्थिति एवं सुक्षाव आदि के सम्बन्ध में आख्या निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0/सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को भेजी जायें। जिला समाज कल्याण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिकारी एवं मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण द्वारा माह में कम से कम दो बार संस्था (वृद्धाश्रम) का निरीक्षण किया जायेगा।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या-20/2015/2167(1)/26-2-2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव, उ0प्र0।
3- सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
4- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।
5- महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उ0प्र0।
6- मा0 मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव, उ0प्र0।
7- समस्त विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
10- समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
12- मा0 समाज कल्याण मंत्री/मा0 समाज कल्याण राज्य मंत्री जी के निजी सचिव।
13- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
14- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
15- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

नीरजा कुरील
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।